अध्याय -3
औद्योगिक संबंध
केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)
मुख्य श्रमआयुक्त(केन्द्रीय) के संगठन की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट

3.1 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) {मु.श्र.आ.(का.)} का संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है । मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अध्यक्ष हैं । इन्हें केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मुख्यालय में 18 तथा फील्ड में 250 अधिकारी हैं । इन अधिकारियों के कार्यालय, देश के भिन्न-भिन्न भागों में आंचलिक, क्षेत्रीय एवं एकक स्तर पर हैं ।

संगठन के कार्य

3.2 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के कार्यों में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं :-

के. औद्यो.सं. तंत्र के कार्य

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना ।
- केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना।
- पंचाट लागू करना।
- अर्द्ध-न्यायिक कार्य ।
- ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना ।
- कल्याण
- अन्य विविध कार्य

औद्योगिक विवादों का निवारण एवं निपटान

3.3 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापनाओं में निम्नलिखित के माध्यम से सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता है:-

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों को मॉनीटर करना ।
- विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और सुलह कराना ।
- हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप ।
- समझौते व पंचाट लागू करना।

- (1) कार्य समिति (2) देयों की वसूली (3) कामबंदी (4) छंटनी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना ।

3.4 वर्ष 2005-2006 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 493 हड़ताल की धमकियों में हस्तक्षेप किया और उसके सुलहकारी प्रयासों से 486 हड़तालें रोकी जा सकीं जिसकी **सफलता दर 99.4 प्रतिशत** आंकी जा रही है । तंत्र द्वारा वर्ष 2005-2006 के दौरान निपटाए गए औद्योगिक विवादों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा निपटाए गए औद्योगिक विवादों का ब्योरा

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के पास आए विवादों की संख्या	**विवादों की संख्या जो केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए**	**अनौपचारिक सुलह कार्रवाई के बिना निपटाए गए विवादों की संख्या**	**उन विवादों की संख्या जिनके लिए औपचारिक सुलह कार्रवाई शुरू की गई**	**सुलह कार्रवाई द्वारा निपटाए गए विवादों की संख्या**	**उन विवादों की संख्या जिनमें सुलह कार्रवाई असफल रही**	**वर्ष के अंत में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के पास लंबित विवादों की संख्या**
8377	--	1749	3243	1037	2206	3385

श्रम कानूनों का प्रवर्तन

3.5 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का दूसरा मुख्य कार्य उन स्थापनाओं में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है । यह तंत्र इसके अंतर्गत बनाए गए निम्नलिखित श्रम कानूनों और नियमों को लागू करता है:-

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा इसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं बंदरगाह, घाट और जेटी के लिए बनाए गए नियम।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम ।
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा नियम ।
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम ।
5. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम,1979 और तत्संबंधी नियम ।

6. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम।
7. उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं तत्संबंधी नियम ।
8. श्रम विधि (विवरणी प्रस्तुति और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988
9. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा नियम।
10. भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय 6-क, रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार विनियमन के घंटे।
11. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम ।
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (खदान एवं सर्कस नियम, 1963) एवं नियम।
13. बोनस संदाय अधिनियम, 1965।

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख स्थापनाएं हैं । केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी क्रैश-निरीक्षण कार्यक्रमों और कार्यदल निरीक्षणों के अंतर्गत इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि श्रमिकों को लाभप्रद कानूनों का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके । असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे बाल श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है । निरंतर चूक करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं । वर्ष 2005-2006 के विवरण निम्नानुसार दिखाए गए हैं :-

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निरीक्षणों आदि को दर्शाता विवरण

निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताओं की संख्या		दायर अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्ध की संख्या
	पाई गई	दूर की गई		
30834	**699355**	**332749**	**10681**	**10152**

पंचाट (अवार्ड) लागू करना

3.7 केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण द्वारा स्थापित पंचाट केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं । वर्ष 2005-2006 के दौरान 2408 पंचाट (अग्रेनित सहित) प्राप्त किए गए। इनमें से 530 को लागू कर दिया गया, 676 पंचाटों पर कार्रवाई चल रही है, 921 पंचाटों को लागू करने पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी तथा 281 पंचाट अन्य कारणों से लंबित पड़े हैं । पंचाट को लागू करने में इसलिए कठिनाई आती है कि नियोजक इन्हें लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश ले आते हैं। यही नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत नियोजक मंत्रालयों द्वारा नियोजकों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक स्वीकृति भी कभी-कभार ही प्राप्त होती है ।

अर्द्ध-न्यायिक कार्य

3.8 सहायक श्रम आयुक्त (के.) से मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी निम्नलिखित अर्धन्यायिक कार्य भी करते हैं:-

मुख्य श्रम आयुक्त (के) - भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन विनियमन व सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1996 के अधीन महानिदेशक (निरीक्षण), औद्योगिकी रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण।

उप मुख्य.श्र.आ.(के) - औद्योगिक रोजगार(स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) नियमावली के नियम 25 (2) (फ) (क) तथा (ख) के अधीन प्राधिकरण ।

क्षे.श्र.आ.(के)- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अंतर्गत प्राधिकरण । ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1971, उपदान संदाय अधिनियम,1972 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन अपील प्राधिकरण । औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन सत्यापन अधिकारी, एच.ओ.ई.आर. के अधीन रेलवे श्रमिकों का पर्यवेक्षण

सहा.श्र.आ.(के) - उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन प्राधिकारी, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारी ।

3.9 अधिनियमों/नियमों के अधीन इन अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

अर्धन्यायिक कार्य की प्रकृति	**पिछले वर्ष के अग्रेनित मामले/ आवेदन/ दावे**	**वर्ष के दौरान प्राप्त मामले/ आवेदन/दावे**	**कुल**	**निपटाए गए मामले/आवेदन/ दावे**	**पंचाट राशि (रूपये में)**
उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत उपदान (2005-06)	**3289**	**4754**	**8043**	**5975**	**65922818**
उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्षे.आ.द्वारा की गई उपदान अपील **(2005-06)**	**391**	**593**	**984**	**612**	**--**
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत क्षे.श्र.आ. (के.) द्वारा किए गए दावों का आवेदन	**4597**	**2208**	**6805**	**4643**	**20137800**

(2005-06)					
क्षे.श्र.आयुक्त (के.) स्थाई आदेशों में सत्यापन/संशोधन के लिए आवेदन/ **(2005-06)**	**28**	**30**	**58**	**46**	**--**
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत मामले **(2005-06)** **(2006-07) (अ)**	 **--** **--**	 **1182** **25**	 **1182** **1651**	 **872** **2228**	 **169000** **871000**

(अ= सभी आंकड़े अनंतिम हैं

केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों की सदस्यता का सत्यापन

3.10 केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों से सम्बद्ध श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसे केन्द्रीय श्रमायुक्त संगठन द्वारा किया जाता है । सामान्य सत्यापन का उद्देश्य केन्द्रीय श्रमिक संघ सगठनों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों, वेतन बोर्डों आदि में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

3.11 अंतिम बार 12 केन्द्रीय श्रमिक संघ से सम्बद्ध श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापन की संगणना दिनांक 31.12.1989 से की गयी थी। सामान्य सत्यापन के परिणाम की घोषणा श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1986 में की गई थी।

3.12 माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश दिनांक 25.7.2003 का अनुपालन करते हुए नया सामान्य सत्यापन की संगणना दिनांक 31.12.2002 से की जा रही है। 13 केन्द्रीय श्रमिक संघों ने अपने 42 मिलियन के लगभग कामगारों के सदस्यता दावों को 18168 सम्बद्ध संघों के माध्यम से दाखिल किया है। सामान्य सत्यापन का प्रथम चरण अर्थात् संघों के विवरणों की श्रमिक संघों के विभिन्न पंजीयकों के रिकार्डों से जांच करने का कार्य पूरा हो गया है और सामान्य सत्यापन का दूसरा चरण अर्थात् व्यक्तिगत संघों के रिकार्डों की जांच और कामगारों की व्यक्तिगत पूछताछ का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। सामान्य सत्यापन की अंतिम रिपोर्ट सभी क्षेत्रों से प्राप्त हो गई है जिनकी समीक्षा/जांच और संकलन किया जा रहा है।

अनुशासन संहिता

3.13 जब कभी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निदेश दिया जाता है अनुशासन संहिता के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों में सक्रिय श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय द्वारा किया जाता है। 8 प्रतिष्ठानों (मेराइन प्रोड्यूसिस

एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी, कोचीन, सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, शिपिंग इण्डस्ट्री, मुम्बई, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. हैदराबाद) में सक्रिय संघों की सदस्यता का सत्यापन गोपनीय मतपत्र के माध्यम किया गया था और 1.4.2006 से आदिनांक के दौरान अंतिम सत्यापन रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय को भेजी गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सक्रिय संघों की सदस्यता का सांविधिक सत्यापन

3.14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उनके नियंत्रणाधीन बैंकों के श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन चार सांविधिक नियमों/स्कीमों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति नियमावली, 1974), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) स्कीम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) स्कीम 1980।

3.15 बैंक के निदेशकों के बोर्ड में कर्मकार निदेशक की नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग के अनुरोध पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा सत्यापन किया जाता है। 8 बैंकों (एस.बी.एस, सिंडीकेट बैंक), बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बडौदा, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक) में सक्रिय संघों के सदस्यों के सत्यापन की अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई थीं और 1.4.2006 से आदिनांक तक परिणाम सूचित कर दिए गए थे। 12 बैंकों में सक्रिय संघों की सदस्यता के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

3.16 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के संगठन को भेजी गई लगभग 56 याचिकाएं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार निपटा दी गई थीं ।

विविध कार्य

3.17. केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता है :-

1. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकें आयोजित करना और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार प्रत्येक छमाही में परिवर्ती महंगाई भत्ता अधिसूचित करना ।
2. विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का बचाव करना ।
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशानुसार शिकायतों की छानबीन करना।
4. विभिन्न नियोजनों में ठेके के श्रमिकों को रोकने की जांच करने के लिए विभिन्न उप समितियों के संयोजक के रूप में केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड की सहायता करना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना ।
6. मु.श्र.आ. (के) संगठन द्वारा लागू विधानों पर संसद के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को सूचना उपलब्ध करवाना ।
7. अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों और अन्य श्रम और रोजगार मामलों

में संघर्ष की स्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना ।

8. मंत्रालय की सलाह पर संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण शिष्ट मण्डलों में भाग लेना ।
9. मंत्रालय के निदेशानुसार सूचना एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।
10. के.श्र.सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में श्रम मंत्रालय की सहायता करना।

कल्याण

3.18. सहायक श्रमायुक्त (ए एल डब्ल्यू) और (डी एल डब्ल्यू सी) रक्षा और अन्य स्थापनाओं जैसे के.लो.नि.वि., सुरक्षा प्रेस, मिन्ट, आर्डिनेंस फैक्टरियों, टेलकॉम फैक्टरियों और अस्पताल आदि में तैनात हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम आयुक्त इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात हैं । ये अधिकारी मिलकर अपनी संबंधित स्थापनाओं में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं । वे कर्मकारों का कल्याण तथा शिकायतों का निवारण, कल्याण योजनाओं के प्रशासन का कार्य भी देखते हैं और शॉप कांउसिल, वर्क्स कमेटी आदि द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ-साथ विभिन्न श्रम मामलों के प्रबंधन पर सलाह देते हैं ।

3.19 हिन्दुस्तान कॉपर लि. ने 5 मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों (एन जे सी सी के सदस्य) द्वारा प्रस्तुत संयुक्त घोषणा-पत्र दिनांक 13.7.2005 में निपटान न की गई मांगों का निपटान करने के लिए 5.4.2006 को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की मध्यस्थता करने के लिए कहा । यह सूचित किया गया था कि हिन्दुस्तान कॉपर लि. के प्रबंधन ने इन संघों के साथ त्रिपक्षीय स्तर पर कई बार विचार विमर्श किया परन्तु सभी मांगों का निपटान करने में असफल रहे। वेतन संशोधन को प्रमाणित करने वाला पिछला दीर्घकालीन समझौता 31.10.1997 को समाप्त हो गया और मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. द्वारा वित्तीय दबावों के कारण आगे कोई वेतन संशोधन नहीं किया जा सका। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने 19.4.2006 को संराधन कार्यवाही का आयोजन किया और लम्बे विचार-विमर्श तथा अनुनय के बाद 19.4.2006 के समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस समझौते से मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. के 5000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस समझौते से निम्नतम वेतनमान पर न्यूनतम 1400 से 1500 रु. प्रति माह के बीच लाभ होगा। समझौता निष्पक्ष, उचित, और युक्तियुक्त है।

3.20 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर्मचारी संघ, अहमदाबाद सर्कल, अहमदाबाद ने अपनी 4 सूची मांगों के घोषणा-पत्र पर लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ के वर्गों में कर्मकार स्टाफ द्वारा 16.8.2006 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का प्रस्ताव करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अहमदाबाद के प्रबंधन को हड़ताल का नोटिस दिनांक 17.7.2006 प्रस्तुत किया। मांगों में प्रबंधन द्वारा अनुशासिनक मामलों में गैर कानूनी रूप से व्यवहार करने तथा ज्यादती करने और असंगत दण्ड प्रदान करने, आर्म्ड गार्डों का स्थानांतरण औषधालयों में दवाईयों उपलब्ध न होने और समयोपरि भत्ते की अदायगी न किया जाना शामिल है।

3.21 क्षेत्रीय श्रमायुक्त, अहमदाबाद ने मामले को समझने के बाद 2.8.206 और 10.8.2006 को संराधन कार्यवाहियों का आयोजन किया और संघों से प्रस्तावित हड़ताल को 29.8.2006 तक स्थगित

करने का अनुरोध किया । इसके बाद 21.8.2006, 22.8.2006 और 28.8.2006 को संराधन कार्यवाहियां आयोजित की गई। दिनांक 28.8.2006 को आयोजित संराधन कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) ने एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया और हड़ताल टल गई। यदि हड़ताल नहीं टलती तो गुजरात राज्य में कार्य सम्पादन में देरी से 500 करोड रुपये के लगभग वित्तीय हानि हो सकती थी।

बैंक संघों के संयुक्त मोर्चे द्वारा 9.3.2006 को अखिल भारतीय हड़ताल

3.22 राज्य क्षेत्र बैंक कर्मचारी एसोशिएसनों ने अपनी मांगों के 21 सूत्री घोषणा-पत्र पर 28.3.2006 को सभी एसोसियटिड सैक्टर बैंकों में एक दिन के लिए राष्ट्रव्यापि हड़ताल पर जाने के लिए एस बी आई कार्पोरेट ऑफिस मुम्बई के एसोसियट बैंकों के प्रबंधन को हड़तालें का नोटिस प्रस्तुत किया ; उप मुख्य श्रमायुक्त, मुम्बई ने मध्यस्थता करते हुए संघों से प्रस्तावित हड़ताल पर न जाने का अनुरोध किया जिससे हड़ताल टल गई ।

वायु परिवहन

3.23 महा सचिव, एयर कार्पोरेशन एम्पलाईज यूनियन ने मजदूरी संशोधन और अन्य मांगों का निपटान करने के लिए अपनी मांगों पर दबाब डालने के लिए बुलेटिन दिनांक 21.4.2006 जारी किया जिसमें 8.5.2006 से इण्डियन एयर लाईन्स के कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित उनके आयोजन कार्यक्रम का ब्यौरा उल्लिखित था। मुख्य श्रमायुक्त (के.) ने मध्यस्थता की और 2.5.2006 को संराधन कार्यवाही का आयोजन किया। इण्डियन एयरलाईन्स के प्रबंधक के साथ-साथ संघ के प्रतिनिधि संराधन कार्यवाहियों में उपस्थित हुए।, प्रबंधन द्वारा कैरियर प्रगति और मजदूरी संशोधन पर कार्रवाई करने के लिए एक समिति के गठन का आश्वासन दिए जाने के आधार पर संध ने औद्योगिक कार्रवाई/आंदोलन को निलंबित कर दिया और अपनी हड़ताल को नोटिस वापस ले लिया।

तेल क्षेत्र

3.24 तेल क्षेत्र अधिकारी एसोशियसन ने अपनी 5 सूत्री मांगों के घोषणा-पत्र पर जिसमें अन्य बातों के साथ-2 1.1.2006 से वेतन संशोधन की 5 वर्षीय आवर्तिता को लागू करना, गतिहीनता (स्टेगनेशन) को हटाने और सभी अधिकारियों को निश्चित वेतन वृद्धि तथा वेतन मान को उदार बनाने;) 1997 के बजाय 11.01.1996 से 100 प्रतिशत विकृतिकरण, केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करना और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन मानों को डी पी ई आदि से अलग करना। मुख्य श्रमायुक्त (के.) 4.9.2006 को सरांधन कार्यवाही का आयोजन और माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री ने 4.9.2006 को तेल क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक नियत की है। 6.9.2006 को संराधन बैठक का आयोजन किया गया और तेल क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिपि में इसका समापन हुआ क्योंकि 5.9.2006 से प्रस्तावित हड़ताल को संघ द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन के दृष्टि क्षेत्र का विवरण

- सामाजिक भागीदरों तथा अर्थव्यवस्था के हितों की सुरक्षा करने में समर्थ श्रम कानूनों का सरलीकरण।
- व्यापक विधान के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की संरक्षा उनके साथ अर्थपूर्ण संवाद और नियमित पारस्परिक प्रभाव के माध्यम से संराधन सेवाओं, प्रशासन और सामाजिक भागीदरों की आशाओं को पूरा करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक दृष्टिकोण में और अधिक सुधार लाना
- सभी नियोजनों में कामगारों के लिए राष्ट्रीय न्यनतम मजदूरी प्राप्त करना
- मुख्य श्रमायुक्त (के.) को प्रशिक्षित और प्रेरित कर्मचारी उपलब्ध करवाना जो कि निरन्तर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अभिमुख हों।
- औद्योगिक संबंधों, प्रशासन और श्रम कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का संग्रहण (डाटा बैंक) रखा जाना चाहिए। पूरे देश में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से लगातार अद्यतन किए जाने की सुविधा प्राप्त हो।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 2001

3.25 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में नियोजकों और कामगारों की ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था है और कुछ मामलों में यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित विधि को परिभाषित करता है । यह ट्रेड यूनियनों को विधायी और निगमित दर्जा प्रदान करता है। यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासित होता है ।

3.26 ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 का संशोधन हो चुका है और 09.01.2002 से लागू हो गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य संक्षेप में ट्रेड यूनियनों का क्रमिक विकास और यूनियनों की बहुलता घटाना तथा आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन प्रस्ताव

3.27 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक विवादों की जांच व समाधान का प्रावधान है । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मधुर संबंध स्थापित करना व उन्हें बढ़ावा देना, नियोजकों और नियोजकों, नियोजकों व कर्मकारों या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच करना व समाधान प्रदान करना ; अवैध हड़तालों व तालाबंदियां को टालना ; कामबंदी व छंटनी के मामलों में कर्मकारों को राहत देना तथा सामूहिक सौदेकारिता करना है ।

3.28 साझा न्यूनतम कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में प्रस्तावित संशोधनों को समाजिक भागीदारों से विस्तृत रूप में परामर्श करने के बाद, अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

3.29 केन्द्रीय सरकार द्वारा 1951 में बागान श्रम अधिनियम, 1951 नामक एक केन्द्रीय विधान अधिनियमित किया गया । यह अधिनियम वर्ष 1954 से प्रभावी है । अधिनियम को उन राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्त्तित किया जाता है, जो अधिनियम के

अधीन मुख्य निरीक्षक को मनोनीत करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कल्याण योजनाओं, शिक्षा की सुविधा, आवास की सुविधा, पेयजल की सुविधा, सफाई एवं शौचालयों की सफाई आदि सुविधाओं को सुनिश्चित करते हैं । तथापि, 1951 से राज्य सरकारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आधारभूत सुविधाएँ, तथा कल्याणकारी गतिविधियों में काफी प्रगति हुई है । तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का विचार कर रहा है ।

औद्योगिक संबंधों का अनुवीक्षण

3.30 1981 में स्थापित श्रम संबंध अनुवीक्षण एकक स्थानिक हड़तालों/तालाबंदियों की संख्या के विवरण तथा इसमें संलग्न श्रमिकों की संख्या और श्रमिक दिवसों की हानि, छंटनी को दर्शाने वाली इकाइयों की संख्या और तालाबंदी की सीमा के आधार पर औद्योगिक सामंजस्य को मानीटर करती है ।

3.31 हड़तालों और तालाबंदी की कुल संख्या में 2004 के मुकाबले 2005 में 4 % की कमी आई है । तथापि इन रूकावटों के कारण प्रभावित हुए कामगारों की संख्या में 2004 के मुकाबले 10.8 % की बढ़ोतरी हुई है ।

3.32 हड़तालों और तालाबंदी की संख्या का स्थानिक/उद्योगवार विवरण तथा इसके फलस्वरूप प्रभावित श्रमिकों की संख्या समान नहीं है । राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक हड़तालें एवं तालाबंदी की घटनाएं हुई उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान रहा । वर्ष 2005 में तमिलनाडु में 204 हड़ताल तथा तालाबंदी की घटनाएं हुई । तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और केरल में हड़ताल तथा तालाबंदी की क्रमशः 46, 34, 25, 24 और 20 घटनाएं हुई ।

3.33 औद्योगिक अस्थिरता के कारण कार्यदिवसों की क्षति का कर्मकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है । सामूहिक स्तर पर, हड़ताल और तालाबंदी के कारण कार्य दिवसों की क्षति में 2004 के मुकाबले 2005 में आंशिक कमी आई है । 2005 में हड़ताल और तालाबंदियों के कारण कुल कार्य दिवसों की क्षति 23.27 मिलियन थी जबकि वर्ष 2004 में वह 23.87 मिलियन थी ।

3.34 हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या से पता चलता हे कि अधिकांश औद्योगिक अशांति मुख्यतः अनुशासनहीनता एवं तोड़फोड़, मजदूरी तथा भत्तों, बोनस, व्यक्तिगत मामलें, छुट्टी, छंटनी आदि से संबंधित हैं । 2005 के दौरान 37 % हड़तालों और तालाबंदियों के पीछे अनुशासनहीनता मुख्य अनियत घटक रहा, जबकि इन अशांति/बंदी में से 22 % का मुख्य कारण मजदूरी से संबंधित मुद्दे थे ।

बदी

3.35 2005 में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में बंदी से प्रभावित होने वाली इकाइयों की संख्या 73 है जो कि 2004 में 194 से काफी कम है । 29 मामलों में वित्तीय अभाव बंदी का कारण था, जबकि इस अवधि के दौरान 6 बंदियों का मुख्य कारण मांग का अभाव था । मशीनरी में खराबी आने और कच्चे माल के अभाव प्रत्येक दो मामलों में बंदी का कारण थे । इन 73

बंदियों में से 71 निजी क्षेत्र में और 2 को-आपरेटिव क्षेत्र में घटित हुए ।

काम-बंदी

3.36 बिजली, कच्चे माल की कमी, स्टॉक इक्ट्ठा होने या मशीनरी खराब होने के कारण किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मकार को जिसका नाम औद्योगिक स्थापना के हाजिरी रजिस्टर में है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है उसे रोजगार देने में असफलता, मना करने या असमर्थता को कामबंदी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । यह आमतौर पर औद्योगिक इकाई के समक्ष सप्लाई में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है जिससे खपत में कमी आती है । 2005 में 2004 की तुलना में कामबंदी से प्रभावित इकाइयों की संख्या 172 से काफी घटकर 80 रह गई । 80 कामबंदी मामलों में से 75 राज्य क्षेत्र में और 5 केन्द्रीय क्षेत्र में हैं । कामबंदी के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या भी 2004 में 28982 से काफी घटकर 2005 में 8030 रह गई।

छंटनी

3.37 छंटनी से प्रभावित इकाइयों की संख्या 2004 की तुलना में 2005 में 38 से घटकर 26 हो गई है और इस अवधि के दौरान छंटनी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या 2944 से घटकर 1943 हो गई। 2005 में पंजीकृत छंटनी के मामले में से 17 राज्य क्षेत्र में थे जबकि 9 केन्द्रीय क्षेत्र में थे।

3.38 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय 5ख में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, 100 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं की बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी को लागू करने से पूर्व विहित आवेदन फार्म में समुचित सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अपेक्षित है । इस मंत्रालय में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य स्थापनाओं से आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मामलों पर प्रबंधन तथा कामगारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई के अवसर दिए जाते हैं । संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और लिखित निवेदन के आधार पर और प्रबंधन के आवेदन के औचित्य/यथार्थता पर विचार करते हुए बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी के लिए अनुमति प्रदान करने अथवा अनुमति प्रदान न करने का निर्णय लिया जाता है । जहां-कहीं अनुमति प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि यथासंभव कामगारों के हित संरक्षित रहें ।

औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां

3.39 औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों का गठन त्रिपक्षीय भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये त्रिपक्षीय समितियाँ मंच प्रदान करती हैं जिसके द्वारा, सामाजिक भागीदार आर्थिक सुधारों से प्रभावित उद्योगों और कामगारों की कठिनाइयों का मूल्यांकन कर सकते हैं । यह समितियाँ गैर-सांविधिक स्थायी समितियाँ हैं जिनकी बैठकों का आयोजन जब कभी अपेक्षित हो किया जाता है । सरकार की प्रतिक्रियाशील भूमिका से नियोजकों और कामगारों के हितों को सफलतापूर्वक सुमेलित किया है जिसके परिणामस्वरूप टकराव का रवैया, सहयोग के रूप में परिवर्तित हो गया है ।

3.40 औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों में से कॉटन टेक्सटाइल्स, जूट, सड़क परिवहन, बिजली सृजन एवं वितरण, इंजीनियरिंग, चीनी तथा रसायन और बागान उद्योग में से प्रत्येक में एक समिति है । बागान, कॉटन, टेक्सटाइल्स एवं सड़क परिवहन की औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों की बैठकों का आयोजन क्रमश: 26.08.2005, 30.6.2006 और 7.7.2006 को किया गया था ।

न्यायनिर्णयन

3.41 केन्द्र सरकार के 17 औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है जो उन औद्योगिक विवादों पर कार्रवाई करते हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है । वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान गुवाहाटी, अहमदाबाद, एर्णाकुलम(कोचीन), दिल्ली और चण्डीगढ़ में पांच नए केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों को स्थापित किया गया है जिससे इनकी कुल संख्या 22 हो गई है । इसके अतिरिक्त, जहां पर केन्द्र सरकार का औद्योगिक न्यायधिकरण एवं-श्रम न्यायालय नहीं हैं वहां औद्योगिक विवादों के निर्णयन के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा स्थापित औद्यागिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों का भी उपयोग करती है।

3.42 लम्बित पड़े मामलों की संख्या कम करने के लिए केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया । अभी तक 319 मामलों को लोक अदालतों के माध्यम से निपटाया गया है ।

विवाचन बोर्ड (संयुक्त सलाहकार तंत्र)

3.43. भारत सरकार ने, नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारियों की महासमिति के मध्य मतभेदों को सुलझाने हेतु संयुक्त सलाहकार मशीनरी एवं अनिवार्य विवाचन के लिए सन् 1966 में एक योजना रखी ।

3.44 यह योजना वेतन और भत्तों के संबंध में, सरकार के कार्य दिवसों के संबंध में और किसी वर्ग अथवा स्तर के कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में अनिवार्य विवाचन उपलब्ध करवाती है।

3.45 इस योजना के अन्तर्गत जुलाई, 1968 में एक विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.) का गठन किया गया । बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य रखे गये । अध्यक्ष की नियुक्ति पूरे समय के लिए स्थायी रूप से तथा सदस्यों की नियुक्ति श्रम मंत्रालय द्वारा बोर्ड को विवादित मामले सौंपते समय अपने स्टाफ तथा पदाधिकारियों के पैनल से की जाती है ।

3.46 अब तक 259 मामले विवाचन बोर्ड को भेजे गए जिसमें से 256 मामलों में बोर्ड ने पंचाट दे दिया है ।

*****

औद्योगिक विवादों के कारण हड़तालें और तालाबंदियाँ
हडतालों व तालाबंदियों की संख्या

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1995	285	781	343	723	732	334	1066
1996	316	850	381	785	763	403	1166
1997	384	921	448	857	793	512	1305
1998	231	866	283	814	665	432	1097
1999	129	798	165	762	540	387	927
2000	109	662	125	646	426	345	771
2001	115	559	139	535	372	302	674
2002	66	513	63	516	295	284	579
2003	46	506	59	493	255	297	552
2004 (अनं)	37	440	49	428	236	241	477
2005(जन.-सितं) (अनं)	45	295	51	289	155	185	340

हड़तालों और तालाबंदियों में शामिल कामगारों की संख्या(हजारों में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1995	700	289	725	264	683	307	990
1996	478	461	606	333	609	331	939
1997	624	358	618	363	637	344	981
1998	955	334	901	388	801	488	1289
1999	549	761	553	758	1099	212	1311
2000	1139	279	1147	271	1044	374	1418
2001	379	308	428	260	489	199	688
2002	360	720	347	733	900	179	1079
2003	1,109	707	1,099	717	1,011	805	2072
2004 (अनं)	1,615	457	1,590	482	1,903	169	2072
2005(जन.सितं) (अनं)	1,271	139	1,269	141	1,274	137	1410

हड़तालों और तालाबंदियों से नष्ट हुए श्रम दिवस(मिलियन में)

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
1995	3.86	12.43	4.79	11.50	5.72	10.57	16.29
1996	1.20	19.09	3.15	17.13	7.82	12.47	20.28
1997	1.41	15.56	2.18	14.79	6.30	10.68	16.97
1998	7.25	14.81	7.58	14.49	9.35	12.71	22.06
1999	0.87	25.91	1.18	25.61	10.62	16.16	26.79
2000	10.04	18.72	10.68	18.08	11.96	16.80	28.76
2001	1.19	22.57	2.02	21.74	5.56	18.20	23.77
2002	0.83	25.75	0.80	25.78	9.66	16.92	26.58
2003	6.72	23.53	6.86	23.40	3.21	27.05	30.26
2004(अनं)	1.65	22.22	1.81	22.06	4.83	19.04	23.87
2005(जन.सितं) (अनं)	1.41	5.89	1.43	5.87	2.83	4.47	7.30

(आं.)= अनंतिम

आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग में मामूली अन्तर हो सकता है ।